



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2019/आषाढ़ 27, 1941  
No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2019/ASHADHA 27, 1941

## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2019

सं. 3-16/2018-रेगुलेशन (13 ए).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 'नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003' को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारत सरकार की पूर्वानुमति से निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:** (1) इन विनियमों को 'नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2019' कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा:**— इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है।

(ख) "प्रपत्र" से इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है।

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है और

(घ) "यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहां परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।"

3. **चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति हेतु:**—यदि कोई व्यक्ति नया चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का इच्छुक है अथवा कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन का नया अथवा, उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है अथवा अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो उसे विनियम 4-6 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं मानदण्डों का अनुसरण करना होगा तथा विनियम 4 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पत्र सहित योजना केन्द्र सरकार को भेजेगा।

4. **योजना के लिए आवेदन पत्र—**(1) यदि कोई व्यक्ति नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है तो वह अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ प्रपत्र-1, जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो, में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहता है तो वह अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ प्रपत्र-2, जैसाकि समय-समय पर संशोधित हो, में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो वह अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ प्रपत्र-3, जैसाकि समय-समय पर संशोधित हो, में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5. प्राधिकारी जिसको योजना और आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है:—

विनियम 4 के अधीन आवेदन-पत्र और योजना विनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार सचिव, भारत सरकार, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय को आनलाइन भेजी जाएगी।

6. आवेदन-पत्र भेजने के लिए पात्रता—(1) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अधीन व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन भेजने के पात्र हैं यदि, —

- (क) उसका एक प्रयोजन आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा-रिग्पा के बारे में शिक्षा प्रदान करना हो।
- (ख) महाविद्यालय के नाम भूमि का अपना अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर उपयुक्त भूखण्ड हो तथा पट्टे की समाप्ति पर नवीनीकरण आवश्यक होगा।
- (1) साठ सीट ग्रहण करने के लिए तीन एकड़ से अन्यून एकल भूखंड हो;
- (2) इकसठ से सौ सीट ग्रहण करने के लिए पांच एकड़ से अन्यून और दो से अनधिक ऐसे प्लाटों में, जो दो किलोमीटर से अनधिक दूरी पर हों;
- (3) प्लाट, यदि सड़क या नहर या नाले द्वारा पृथक है परन्तु सेतु से जुड़ा है तो, एक भूखंड माना जाएगा।
- (ग) प्रस्तावित स्थान पर नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार से प्रपत्र 4 में “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्राप्त कर लिया हो।
- (घ) किसी केन्द्र अथवा राज्य संविधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रपत्र 5 में “सम्बद्धता हेतु सहमति” प्राप्त कर ली हो।
- (ङ.) आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी अथवा सोवा-रिग्पा में एक अस्पताल का स्वामित्व और प्रबंधन करता हो तथा भारतीय चिकित्सा की सम्बंधित पद्धति के अधिसूचित न्यूनतम मानक अपेक्षा विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अवसंरचना और मानव शक्ति को चरणबद्ध रीति से स्थापित करने की स्थिति में है।
- (च) वचनबद्धता प्रस्तुत करता हो कि छात्रों का चयन अथवा प्रवेश अनिवार्य रूप से केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा;
- (छ) वचनबद्धता प्रस्तुत करता हो कि पाठ्यक्रमों की नामावली तथा शिक्षक-छात्र अनुपात सम्बंधित विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट विनियम के अनुसार रखा जाएगा;
- (ज) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय में भी किसी कक्षा अथवा स्तर अथवा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में पहले से ही छात्रों को प्रवेश नहीं दिया हो; तथा
- (झ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में देय तथा पांच वर्षों की अवधि हेतु वैध स्थायी सुरक्षा जमा निम्नवत् प्रस्तुत करने की स्थिति में हो:—
- (1) चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए: 60 सीटों तक—रु एक करोड़
- (2) 61—100 सीटों के बीच रु दो करोड़

बशर्ते कि यह राज्य सरकारों अथवा केन्द्र शासित द्वारा शासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से उनके द्वारा सूचित किए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्धता देते हों।

- (2) महाविद्यालय विनियम 4 के उप-विनियम 2 के अधीन आवेदन-पत्र देने के पात्र हैं यदि,
- (क) सम्बंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र 4)।
- (ख) केन्द्र अथवा राज्य विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र 5)।
- (ग) केन्द्रीय परिषद् के मानदण्डों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, स्टाफ, स्थान, उपकरणों और अन्य अवसंरचना के समर्थन में प्रलेखित साक्ष्य देने हेतु सक्षम हो।
- (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी अथवा सोवा-रिग्पा में स्नातकीय अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली हो तथा प्रथम अनुमति के पश्चात् क्रमशः कम से कम चार वर्ष छः माह तथा तीन वर्ष पूर्ण कर लिये हों;
- (ङ.) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र के स्वामित्व अथवा प्रबंधन किए जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा उपबंध (घ) में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने में छूट दी गई हो;
- (च) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का चयन अनिवार्य रूप से केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित शैक्षिक वरीयता के आधार पर किया जाता है;
- (छ) स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डिप्लोमा और अधिमान्य विशेषज्ञता विषयों के पाठ्यक्रम की नामावली तथा शिक्षक छात्र अनुपात सम्बन्धित विनियम के अनुसार हो;
- (ज) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित अधिसूचित सम्बंधित विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अवसंरचना और मानव शक्ति को चरणबद्ध रीति से स्थापित करने की स्थिति में हो;
- (झ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में देय तथा तीन वर्षों की अवधि हेतु वैध स्थायी सुरक्षा जमा निम्नवत् प्रस्तुत करने की स्थिति में हो:—

- (1) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम — रु पचास लाख प्रति विशेषज्ञता
- (2) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम — रु दस लाख प्रति विशेषज्ञता
- (3) अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रम — रु एक करोड़ प्रति विशेषज्ञता
- (4) अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम — रु तीस लाख प्रति विशेषज्ञता

बशर्ते कि यह उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा शासित हैं, यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से उनके द्वारा सूचित किए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्धता देते हों।

- (3) विनियम 4 के उप-विनियम 3 के अधीन कोई चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन करने के लिए पात्र होगा यदि,
- (क) सम्बंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र 4);
- (ख) केन्द्र अथवा राज्य संविधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र 5);
- (ग) केन्द्रीय परिषद् के मानदण्डों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, स्टाफ, स्थान, उपकरणों और अन्य अवसंरचना के समर्थन में प्रलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करें;
- (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी अथवा सोवा-रिग्पा में स्नातकीय अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली हो तथा प्रथम अनुमति के पश्चात् कमशः स्नातकीय पाठ्यक्रम के मामले में कम से कम चार वर्ष छः माह तथा स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों की संबंधित विशिष्टताओं के मामले में तीन वर्ष तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की संबंधित विशिष्टताओं के मामले में दो वर्ष पूर्ण कर लिये हों;
- (ङ) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र के स्वामित्व अथवा प्रबंधन किए जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा उपबंध (घ) में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने में छूट दी गई हो;
- (च) स्नातकीय पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा डिप्लोमा तथा अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन अनिवार्य रूप से केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित शैक्षिक वरीयता के आधार पर किया जाता है;
- (छ) चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानकों एवं आवश्यकताओं के विनियम में निर्धारित शिक्षक और छात्र अनुपात रखता हो;
- (ज) प्रवेश की अधिकतम संख्या सम्बंधित विनियम में निर्धारित सीमा से अधिक न हो;
- (झ) केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित अधिसूचित सम्बंधित विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अवसंरचना और मानव शक्ति को चरणबद्ध रीति से स्थापित करने की स्थिति में हो;
- (ञ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में देय स्नातकीय पाठ्यक्रम के मामले में पांच वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के मामले में तीन वर्ष की अवधि हेतु वैध एक स्थायी सुरक्षा जमा निम्नवत् प्रस्तुत करता हो।
- (1) स्नातकीय पाठ्यक्रम: 60 सीटों तक— रु पच्चीस लाख;
  - (2) 61 से 100 सीटों के बीच—रु पचास लाख;
  - (3) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम: प्रति सीट— रु पांच लाख;
  - (4) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम—रु दो लाख;
  - (5) अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रम—रु दस लाख; तथा
  - (6) अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम—रु दो लाख

बशर्ते कि यह राज्य सरकारों अथवा केन्द्र शासित द्वारा शासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से उनके द्वारा सूचित किए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्धता देते हों।

7. **केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाएं**— (1) केन्द्र सरकार आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदन पत्र की छानबीन पात्रता मानदण्डों के आधार पर, जैसे—आवेदन शुल्क, राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण—पत्र तथा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता हेतु सहमति इत्यादि, करेगी तथा केन्द्र सरकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को केवल पात्र आवेदन पत्र उन पर आगे विचार करने हेतु अग्रेषित करेगी तथा अपात्र एवं अपूर्ण आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाएंगे तथा आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे।
- (2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् महाविद्यालयों का निरीक्षण करेगी तथा यदि महाविद्यालय, जैसा कि विनियम-6 में विनिर्दिष्ट है, पात्र पाया जाता है तो वह अपने स्तर पर प्रपत्र-6 में आशय पत्र जारी करेगी तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् पुनः निरीक्षण करेगी अथवा आशय पत्र की अन्य शर्तों तथा संबंधित विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु 31 मार्च तक, प्रपत्र-7 में अनुमति पत्र जारी करने अथवा जारी न करने हेतु अनुशंसा मात्र एक बार भेजेगी।
8. **आवेदन पत्र के साथ भेजने के लिए शुल्क**—विनियम 4 के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन—पत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा आनलाइन भुगतान (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर/रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) के द्वारा निम्न अप्रतिदेय आवेदन शुल्क देय होगा:—
- (क) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए — रु दस लाख;
- (ख) अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए — रु पांच लाख प्रति पाठ्यक्रम प्रति विशिष्टता;
- (ग) प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए
- (1) स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु —रु पांच लाख;
  - (2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु — रु पांच लाख प्रति विशिष्टता;
9. **अनुमति आदेश**— (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसा पर तथा आवेदक द्वारा सुरक्षा जमा के प्रस्तुत करने के पश्चात्, नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने या नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए मूल प्रस्ताव में ऐसी शर्तों या आशोधनों के साथ, जो वह आवश्यक समझे अनुमति पत्र जारी करेगी।
- (2) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने और छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी और उसका नवीनीकरण वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धियों के सत्यापन के अधीन रहते हुए वार्षिक आधार पर किया जाएगा। आरंभिक अनुमति की समाप्ति के छः माह पूर्व नवीनीकरण के प्रयोजन के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को आवेदन करने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का होगा।
- (3) अनुमति के नवीनीकरण की यह प्रक्रिया ऐसे समय तक जारी रहेगी जब तक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा अस्पताल सुविधाओं का विस्तार पूरा नहीं हो जाता है और चिकित्सा महाविद्यालय को औपचारिक अनुमति नहीं मिल जाती है।

तथापि, किसी भी चरण पर तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक केन्द्रीय परिषद् की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो जाती हैं।  
केन्द्रीय सरकार किसी भी चरण पर कमियों को आवेदक को सूचित करेगी और उसे कमियों को दूर करने के लिए अवसर और समय देगी।  
(4) केन्द्रीय परिषद् प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय से ऐसी अन्य सूचना प्राप्त कर सकेगी जो वह समुचित और आवश्यक समझती है।

**प्रपत्र-1**

**[देखें विनियम 4 का उप-विनियम (1)]**

**नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र**

**भाग-1**

1. आवेदक का नाम  
(स्पष्ट शब्दों में) .....
2. पूरा पता, पिन कोड सहित, दूरभाष संख्या, फ़ैक्स एवं ई-मेल (स्पष्ट शब्दों में) .....
3. (1) आवेदक की स्थित राज्य सरकार/ केन्द्र शासित क्षेत्र/अथवा विश्वविद्यालय / न्यास .....
- (2) पंजीयन / संस्थापन ( संख्या एवं तिथि, यदि कोई है) .....
4. प्रस्तावित आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी अथवा सोवा-रिग्पा महाविद्यालय का नाम एवं पता .....
5. राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की तिथि .....
6. (1) सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता .....
- (2) योजना हेतु सम्बद्धता की तिथि .....
7. (1) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम .....
- (2) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय के संलग्न अस्पताल का नाम .....
- (3) अस्पताल की स्थापना की तिथि .....

**भाग-1**

8. **प्रारंभिक अवसंरचना**  
चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न अस्पताल के लिए उपलब्ध सुविधाएं  
(यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ लगाएं) .....
9. **न्यास का गठन**  
सोसाइटी अथवा न्यास के सदस्यों, प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का अध्यक्ष अथवा परियोजना निदेशक, विद्यमान अस्पताल का अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सदस्यों की अर्हता एवं अनुभव, परियोजना के अध्यक्ष अथवा निदेशक तथा अस्पताल के अध्यक्ष का ब्यौरा .....
10. **वित्तीय क्षमता**  
(यदि प्रार्थी न्यास है तो गत तीन वर्षों का तुलन पत्र।  
निर्धारण हेतु संसाधनों का विवरण) .....
11. **चिकित्सा महाविद्यालय के प्रस्तावित स्थान की विशिष्टताएं:-**
  - (क) स्थान विवरण .....
  - (ख) भूखण्ड का आकार .....
  - (ग) अनुज्ञेय फर्श स्थान निर्देशिका .....
  - (घ) भूमि आधिपत्य .....
  - (ङ.) भवन की ऊँचाई .....
  - (च) मार्ग सुगमता .....

- (छ) जन वाहनों की उपलब्धता .....
- (ज) विद्युत आपूर्ति .....
- (झ) जल आपूर्ति .....
- (ञ) मल-निष्कासन व्यवस्था .....
- (ट) संचार सुविधा .....
- (ठ) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का मास्टर प्लान .....
- (ड) अभिन्यास योजना, अनुभाग .....
- (ढ) ऊँचाई एवं तल के अनुसार क्षेत्रफल की गणना .....
- 12. शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम**
- (क) छात्रों की प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश क्षमता .....
- (ख) प्रवेश विधि .....
- (ग) सीटों का आरक्षण/अधिमान्य आबंटन .....
- 13. क्रियात्मक कार्यक्रम**
- (क) विभागानुसार तथा सेवानुसार क्रियात्मक आवश्यकताएं .....
- (ख) क्षेत्रीय आबंटन तथा कक्षा के अनुसार बैठने की क्षमता .....
- 14. उपकरण संबंधी कार्यक्रम**
- मात्रा और विनिर्देशों की वर्षवार अनुसूची सहित उपकरणों की विभागानुसार सूची-
- (क) चिकित्सा उपकरण .....
- (ख) वैज्ञानिक उपकरण .....
- (ग) सहयोगी उपकरण .....
- 15. जनशक्ति कार्यक्रम**
- विभागानुसार एवं वर्ष के अनुसार प्रावधान-
- (क) पूर्णकालिक शिक्षक वर्ग .....
- (ख) तकनीकी वर्ग .....
- (ग) प्रशासनिक वर्ग .....
- (घ) सहायक वर्ग .....
- (ङ.) वेतन का ढांचा .....
- (च) वेतन अदायगी का प्रकार .....
- (छ) भर्ती प्रक्रिया .....
- (ज) भर्ती का कमबद्ध कार्यक्रम .....
- 16. भवन कार्यक्रम**
- (क) विभाग, लैक्चर थिएटर, परीक्षा हाल, संग्रहालय इत्यादि .....
- (ख) स्टाफ बर्वाटर .....
- (ग) स्टाफ एवं छात्रों के लिए आवास .....
- (घ) प्रशासनिक कार्यालय .....
- (ङ.) पुस्तकालय .....
- (च) सभागार .....
- (छ) शिक्षण रसायनशाला .....
- (ज) शव ग्रह .....
- (झ) सांस्कृतिक एवं मनोरंजन केन्द्र .....
- (ञ) क्रीडा स्थल .....
- (ट) वनौषधि उद्यान .....
- (ठ) अन्य सुविधाएं .....
- (अन्य सुविधाओं का नाम बताएं)
- 17. निर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रस्तावित कमबद्ध तथा त्रैमासिक कार्यक्रम-**
- (क) भवन का खाका और उसके पूरा होने का विवरण .....
- (ख) स्थानीय निकायों का अनुमोदन .....
- (ग) सिविल निर्माण .....
- (घ) अभियान्त्रिक सेवाओं एवं उपकरणों का प्रावधान .....

(ड.)	स्टाफ की आवश्यकता	.....
(च)	प्रवेश की अनुसूची	.....
<b>18.</b>	<b>परियोजना की लागत</b>	
(क)	भूमि की पूंजीगत लागत	.....
(ख)	भवन	.....
(ग)	संयंत्र एवं मशीनरी	.....
(घ)	चिकित्सा, वैज्ञानिक एवं सहायक उपकरण	.....
(ड.)	फर्नीचर एवं उपस्कर	.....
(च)	प्रारम्भिक एवं परिचालन से पूर्व के व्यय	.....
<b>19.</b>	<b>परियोजना के वित्तीय संसाधन</b>	
(क)	आवेदक का अंशदान	.....
(ख)	अनुदान	.....
(ग)	दान	.....
(घ)	लाभांश	.....
(ड.)	आवधिक ऋण	.....
(च)	अन्य स्रोत, यदि कोई हो	.....
<b>20.</b>	<b>पूर्वानुमानित राजस्व</b>	
(क)	शुल्क ढाँचा	.....
(ख)	अस्पताल का प्रयोक्ता प्रभार	.....
(ग)	विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक राजस्व	.....
<b>21.</b>	<b>पूर्वानुमानित व्यय</b>	
(क)	परिचालन प्रभार	.....
(ख)	अवमूल्यन	.....
<b>22.</b>	<b>परिचालन परिणाम</b>	
(क)	आय का विवरण	.....
(ख)	नकद राशि का विवरण	.....
(ग)	परियोजना तुलन—पत्र	.....
<b>23.</b>	<b>विद्यमान अस्पताल का नाम, पता तथा विवरण</b>	
(क)	शय्या क्षमता	.....
(ख)	शय्या वितरण, शय्या अधिभोग तथा भारतीय चिकित्सा की सम्बंधित पद्धति के न्यूनतम मानक अपेक्षा विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्ड पूरे हो पाएंगे।	.....
(ग)	निर्मित क्षेत्र	.....
(घ)	नैदानिक एवं परा-नैदानिक विषय	.....
(ड.)	बाहिरंग रोगी विभागों की संख्या तथा विभागानुसार उपस्थिति	.....
(च)	वास्तुशिल्पीय तथा अभिन्यास योजनाएं	.....
(छ)	चिकित्सीय/सहायक उपकरणों की सूची	.....
(ज)	आभियान्त्रिक सेवाओं की क्षमता और विन्यास	.....
(झ)	अस्पतालीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं अन्य सहायक एवं अनुसमर्थित सेवाएं (वर्गक्रम में स्टाफ की क्षमता)	.....

**भाग — 2****विकास एवं विस्तारण कार्यक्रम****24. विद्यमान अस्पताल के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि का विवरण**

(क)	भूमि का ब्यौरा	.....
(ख)	चिकित्सा महाविद्यालय तथा प्रस्तावित अस्पताल की अवस्थिति	.....
(ग)	स्थान विवरण	.....
(घ)	भूखण्ड का आकार	.....

- (ड.) अनुज्ञेय फर्श स्थान निर्देशिका .....
- (च) भूमि आधिपत्य .....
- (छ) भवन की ऊँचाई .....
- (ज) मार्ग सुगमता .....
- (झ) जनवाहनों की उपलब्धता .....
- (ञ) विद्युत आपूर्ति .....
- (ट) जल आपूर्ति .....
- (ठ) मल-निष्कासन व्यवस्था .....
- (ड) संचार सुविधा .....
- (ढ) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का मास्टर प्लान .....
- (ण) अभिन्यास योजना, अनुभाग .....
- (त) ऊँचाई एवं तल के अनुसार क्षेत्रफल की गणना .....
- 25. विकसित नैदानिक कार्यक्रम:-**
- विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त नैदानिक एवं परा-नैदानिक क्रियाकलापों के विस्तार का प्रत्येक वर्ष का विवरण .....
- 26. उन्नयन क्रियात्मक कार्यक्रम**
- (क) विषयानुक्रम तथा सेवा अनुक्रम में क्रियात्मक आवश्यकताएं .....
- (ख) विभाजित क्षेत्र .....
- (ग) विशिष्टता के अनुसार शय्याओं का विभाजन .....
- 27. भवन विस्तारण कार्यक्रम प्रति वर्ष अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए**
- (क) विभाग, लैक्चर थिएटर, परीक्षा हाल इत्यादि .....
- (ख) अस्पताल .....
- (ग) स्टाफ क्वार्टर .....
- (घ) स्टाफ एवं छात्रों के लिए आवास .....
- (ड.) अन्य सहायक भवन .....
- 28. योजना एवं विन्यास अस्पताल का उन्नयन मास्टर प्लान तथा**
- (क) विन्यास योजना .....
- (ख) अनुभाग .....
- (ग) ऊँचाई .....
- (घ) अस्पताल के क्षेत्रफल की तल के अनुसार गणना .....
- (ड.) सहायक भवनों के क्षेत्रफल के तल के अनुसार गणना .....
- 29. आभियान्त्रिक सेवाओं तथा अस्पताल सेवाओं की क्षमता एवं विन्यास के विकास अथवा परिवर्धन का विवरण**
- 30. उपकरण कार्यक्रम**
- उन्नत विभागानुसार उपकरणों की सूची जिसमें प्रति वर्ष विनिर्दिष्ट की अनुसूची सन्निहित हो-
- (क) चिकित्सा उपकरण .....
- (ख) वैज्ञानिक उपकरण .....
- (ग) सहयोगी उपकरण .....
- 31. उन्नत जनशक्ति**
- कार्यक्रम विभागानुसार एवं प्रति वर्ष प्रावधान-
- (क) पूर्णकालिक शिक्षक वर्ग .....
- (ख) तकनीकी वर्ग .....
- (ग) प्रशासनिक वर्ग .....
- (घ) सहायक वर्ग .....
- (ड.) वेतन का ढाँचा .....
- (च) वेतन अदायगी का प्रकार .....
- (छ) भर्ती प्रक्रिया .....
- (ज) भर्ती का कमबद्ध कार्यक्रम .....

<b>32. विस्तारण योजना —</b>	
निर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रस्तावित क्रमबद्ध तथा त्रैमासिक अनुसूची	
(क) भवन नमूने का प्रारम्भ एवं पूरा होना	.....
(ख) स्थानीय निकायों का अनुमोदन	.....
(ग) सिविल निर्माण	.....
(घ) अस्पतालीय सेवाओं का अभियान्त्रिक प्रावधान	.....
(ङ.) चिकित्सा एवं सहायक उपकरणों का प्रावधान	.....
(च) स्टाफ की आवश्यकता	.....
(छ) प्रवेश का कार्यक्रम	.....
<b>33. परियोजना की लागत</b>	
(क) भूमि की पूंजीगत लागत	.....
(ख) भवन	.....
(ग) सयंत्र एवं मशीनरी	.....
(घ) चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं सहायक उपकरण	.....
(ङ.) फर्नीचर एवं उपस्कर	.....
(च) परिचालन से पूर्व के और प्रारम्भिक व्यय	.....
<b>34. परियोजना के वित्तीय संसाधन</b>	
(क) प्रार्थी का अंशदान	.....
(ख) अनुदान	.....
(ग) दान	.....
(घ) लाभांश	.....
(ङ.) आवधिक ऋण	.....
(च) अन्य स्रोत, यदि कोई हो	.....
<b>35. पूर्वानुमानित राजस्व</b>	
(क) शुल्क ढाँचा	.....
(ख) अस्पताल के उपयोक्ता प्रभार	.....
(ग) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक राजस्व	.....
<b>36. पूर्वानुमानित व्यय</b>	
(क) परिचालन लागत	.....
(ख) अवमूल्यन	.....
<b>37. परिचालन परिणाम</b>	
(क) आय का विवरण	.....
(ख) नकद राशि का विवरण	.....
(ग) परियोजित तुलन-पत्र	.....

आवेदक के हस्ताक्षर

**संलग्नों की सूची:**

उपविधि/विज्ञप्ति एवं एसोसिएशन के नियम/न्यास दस्तावेजों की सत्यापित प्रति

पंजीयन/संस्थापन के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति

गत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र

कुल उपलब्ध भूमि की स्वामित्व के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति

भूमि उपयोगार्थ उपलब्ध स्थान की क्षेत्रीय योजना की सत्यापित प्रति।

शय्या वितरण सहित विद्यमान अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।

सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रति।

मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति।

आवेदक के बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को प्रार्थी के वित्तीय रिकार्ड की सवतन्त्र जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य अनुलग्नक (कृपया विवरण दें)

**नोट:— सभी प्रतियां स्वयं सत्यापित हों।**



## प्रपत्र-2

## (देखें विनियम 4 का उप-विनियम 2)

अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

भाग-1

1. आवेदक का नाम  
(स्पष्ट शब्दों में) .....
2. पूरा पता, पिन कोड, दूरभाष संख्या, फैक्स एवं  
ई-मेल (स्पष्ट अक्षरों में) .....
3. आवेदक की स्थिति  
राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/  
अथवा विश्वविद्यालय/न्यास .....
4. पंजीयन/संस्थापन  
(संख्या एवं तिथि, यदि कोई है) .....
5. आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा  
सोवा-रिग्पा महाविद्यालय का नाम एवं पता .....
6. राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा  
जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की तिथि .....
7. (1) सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता  
(2) प्रथम सम्बद्धता की तिथि  
(3) योजना हेतु प्रथम सम्बद्धता की तिथि .....
8. स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के  
प्रवेश का वर्ष .....
9. प्रथम प्रविष्ट स्नातकीय/स्नातकोत्तर बैच की समाप्ति का  
माह एवं वर्ष .....
10. अनुमोदित सीटों की संख्या और विद्यमान  
स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय  
चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता की तिथि .....
11. प्रस्तावित नया अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम का नाम .....
12. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदित सीटों की संख्या .....
13. विवरण दें:-  
(क) अतिरिक्त वित्तीय आबंटन .....
- (ख) अतिरिक्त स्थान, उपकरण एवं अन्य  
अवसंरचना सुविधा का प्रावधान .....
- (ग) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान .....
14. अन्य संबंधित सूचना .....

तिथि : आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : पूरा नाम

पद

## अनुलग्नकों की सूची

सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण" की सत्यापित प्रति  
मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति।

आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार/ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को प्रार्थी के वित्तीय अभिलेख की स्वतंत्र जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा पहले से यदि अनुमोदित है तो महाविद्यालय/संस्थान को मान्यता देने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पत्र की सत्यापित प्रति

नोट:—सभी प्रतियाँ स्वयं सत्यापित हों।

प्रपत्र-3

(देखें विनियम 4 का उप-नियम 3)

प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम  
(स्पष्ट शब्दों में) .....
2. पूरा पता, पिन कोड, दूरभाष संख्या, फ़ैक्स, ई-मेल (स्पष्ट अक्षरों में) .....
3. आवेदक की स्थिति  
राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/अथवा विश्वविद्यालय/ न्यास .....
4. पंजीयन/संस्थापन  
(संख्या एवं तिथि, यदि कोई है) .....
5. आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा-रिग्पा  
महाविद्यालय का नाम एवं पता .....
6. राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी  
"अनापत्ति प्रमाण पत्र" की तिथि .....
7. (1) सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता .....
- (2) प्रथम सम्बद्धता की तिथि .....
- (3) योजना हेतु प्रथम सम्बद्धता की तिथि .....
8. स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के प्रवेश का  
वर्ष .....
9. प्रथम प्रविष्ट स्नातकीय/स्नातकोत्तर बैच की समाप्ति का माह एवं  
वर्ष .....
10. अनुमोदित सीटों की संख्या और विद्यमान स्नातकीय/स्नातकोत्तर  
पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता की  
तिथि .....
11. प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम का नाम .....
12. प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम के लिए आवेदित सीटों की संख्या .....
13. विवरण देवें:-  
(क) अतिरिक्त वित्तीय आबंटन .....
- (ख) अतिरिक्त स्थान, उपकरण एवं अन्य अवसंरचना सुविधा  
का प्रावधान .....
- (ग) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान .....
14. अन्य संबंधित सूचना

तिथि : आवेदक के हस्ताक्षर  
स्थान : पूरा नाम  
पद

अनुलग्नकों की सूची

सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण" की सत्यापित प्रति

मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति।

आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को प्रार्थी के वित्तीय अभिलेख की स्वतंत्र जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा पहले से यदि अनुमोदित है तो महाविद्यालय/संस्थान को मान्यता देने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पत्र की सत्यापित प्रति।

नोट:—सभी प्रतियाँ स्वयं सत्यापित हों।

#### प्रपत्र-4

#### (देखें विनियम 6)

#### राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र

संख्या .....

..... सरकार

भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग/आयुष,

तिथि.....

सेवा में, (आवेदक का नाम एवं पता)

विषय:— अनापत्ति प्रमाण—पत्र

सन्दर्भ:

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है:—

1. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा संस्थानों की संख्या।
2. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा और आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा चिकित्साभ्यासियों की संख्या।
3. राज्य परिषद्/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा चिकित्साभ्यासियों की संख्या।
4. राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा चिकित्साभ्यासियों की संख्या।
5. राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/ कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी अथवा सोवा—रिग्पा चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या।
6. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा चिकित्सकों की संख्या।
7. राज्य में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा चिकित्सकों एवं — जनसंख्या का अनुपात।
8. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा।
9. छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें।
10. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य।
11. प्राप्य आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा चिकित्सक जनसंख्या अनुपात।

.....(व्यक्ति का नाम) ने ..... में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् ..... सरकार ने आवेदक ..... को ..... सीटों के साथ आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए/..... से ..... सीटों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने/..... पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास ..... शय्याओं वाला अस्पताल है जिसकी स्थापना वर्ष ..... को हुई थी।

(ख) आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा—रिग्पा महाविद्यालय की स्थापना / प्रवेश क्षमता में वृद्धि / ..... पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।

(ग) ..... (न्यास का नाम ) द्वारा ..... में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा-रिग्पा महाविद्यालय की स्थापना / प्रवेश क्षमता में वृद्धि / ..... पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित/ विद्यमान महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा-रिग्पा महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना अपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

**प्रपत्र-5**

**(देखें विनियम 6)**

**संबद्धता की सहमति**

क्रमांक .....

विश्वविद्यालय .....

स्थान .....

दिनांक.....

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ..... विश्वविद्यालय ने भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 13 (क) के अधीन अनुमति देने की शर्त पर ..... (आवेदक का नाम) को ..... में ..... सीटों के साथ प्रस्तावित आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा-रिग्पा प्रस्तावित महाविद्यालय को संबद्धता देना / ..... पाठ्यक्रम में ..... सीटों से ..... तक बढ़ाना/ पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

कुलसचिव

**टिप्पणी :** आवेदक को सम्बद्धता की सहमति जारी करते समय इसकी एक प्रति सचिव, भारत सरकार, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, बी ब्लॉक, जी. पी. ओ. काम्पलेक्स, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023 को भी उपलब्ध कराई जाए।

**प्रपत्र-6**

**(देखें विनियम 7)**

संदर्भ संख्या .....दिनांक.....

सेवा में,

महाविद्यालय का नाम पता सहित

**विषय:** भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन आवेदन हेतु अनुमोदन अथवा निरानुमोदन का आशय पत्र

महोदय,

मुझे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक ..... दिनांक .....जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन आपका आवेदन पत्र संख्या.....दिनांक..... अग्रेषित किया गया है को संदर्भित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त परिदर्शन दल द्वारा ..... को प्रस्तावित .....(महाविद्यालय का नाम) जिसकी स्थापना.....(राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/न्यास) द्वारा की गई है, का निरीक्षण.....को किया गया तथा महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं अन्य अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

2. निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य सभी सम्बन्धित कागजात परिषद् की कार्यकारिणी समिति के समक्ष उसकी दिनांक ..... को हुई बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। कार्यकारिणी समिति ने, प्रस्ताव के सावधानी पूर्वक विचार पर, आशयपत्र या अनुमति पत्र जारी करने के लिए योजना के अनुमोदन या निरानुमोदन हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया। कार्यकारिणी समिति के निर्णय का सामान्य सभा ने.....को हुई अपनी बैठक में अनुमोदन किया।

3. योजना एवं परिदर्शन प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय परिषद् निम्न निर्णय पर पहुंची:—

- (1) कि आवेदक पात्रता और अर्हक मानदण्डों को पूरा करता है।
- (2) कि आवेदक के पास केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथा उल्लिखित, प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के अनुरूप आवश्यक अवसंरचना सुविधा, छात्रों एवं छात्रावासों के लिए छात्रावास की सुविधा सहित आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उचित तथा समयबद्ध कार्यक्रम है ताकि अनुमति प्रदान करने की तिथि के चार वर्ष के भीतर सुसज्जित महाविद्यालय स्थापित हो सके।
- (3) कि आवेदक विद्यमान अस्पताल के उन्नयन अथवा महाविद्यालय के प्रांगण में ही नया अस्पताल स्थापित करने अथवा दोनों के माध्यम से केन्द्रीय परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शय्याओं तथा अवसंरचना सुविधाओं को महाविद्यालय की स्थापना के चार वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त तथा समयबद्ध कार्यक्रम रखता है।

- (4) कि आवेदक के पास प्रस्तावित महाविद्यालय को स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबन्धीय एवं वित्तीय क्षमता तथा शिक्षण अस्पताल सहित सहायक सहयोगी सुविधाएं हैं।
- (5) कि आवेदक के पास केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित मानदण्डों के अनुरूप संकाय और स्टाफ की भर्ती के लिए उचित और समयबद्ध कार्यक्रम है तथा आवश्यक पद सृजित समझे जावें।
- (6) कि आवेदक ने किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया है
- (7) अवसंरचना अथवा संकाय में क्या कोई कमियां हैं  
(और यह भी इंगित करें कि वे दूर होने योग्य हैं या नहीं)

अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	मानदंड	टिप्पणी
1	प्रपत्र-4	
2	प्रपत्र-5	
3	अस्पताल की क्रियात्मकता	

उपर्युक्त परिस्थिति में परिषद् ने आशय पत्र जारी करने/जारी न करने का निर्णय लिया।

(यदि परिषद् आशय पत्र जारी करने का निर्णय नहीं लेती है)

योजना को अनानुमोदित करने के कारण निम्न प्रकार हैं:-

- (क) .....
- (ख) .....
- (ग) .....

योजना मूल रूप में वापिस की जाती है। यदि संस्थान अपील करना चाहता है तो वह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क (4) (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क कर सकता है।

#### अनुसूची-7

#### (देखें विनियम 7)

संदर्भ संख्या .....दिनांक.....

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार/आयुष मंत्रालय,

आयुष भवन, बी ब्लॉक,

जी पी ओ काम्पलेक्स, आई.एन.ए.,

नई दिल्ली-110023

विषय: भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र.....हेतु.....  
.....महाविद्यालय के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसा-सम्बन्धी।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि .....न्यास अथवा सोसायटी अथवा महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में तथा पत्रांक.....दिनांक.....के द्वारा जारी आशय पत्र के संबंध में.....सीटों की प्रवेश क्षमता सहित आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी अथवा सोवा-रिग्पा महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु (अथवा).....सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु (अथवा).....सीटों से .....सीटों तक .....पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु, जैसा भी मामला हो, के लिए आधारभूत संरचना सुविधाओं को बनाए रखने के लिए लागू सम्बंधित विनियम के अनुपालन की जांच करने हेतु.....महाविद्यालय (पता सहित) का परिदर्शन दिनांक.....को किया गया।

लागू विनियमों के अनुसार आनलाइन परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन की गई तथा इसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया तथा कार्यकारिणी समिति ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र.....हेतु निम्नलिखित कमियों सहित/बिना किसी कमी के साथ .....सीटों की प्रवेश क्षमता सहित आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी अथवा सोवा-रिग्पा महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु (अथवा).....सीटों की प्रवेश क्षमता सहित एक नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु (अथवा).....सीटों से .....सीटों तक .....पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु, जैसा भी मामला हो, अनुमति पत्र जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया:-

अनुलग्नक:-

1. आनलाइन परिदर्शन प्रपत्र अर्थात् भाग-1 अर्थात् महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत
2. आनलाइन परिदर्शन प्रपत्र अर्थात् भाग-2 अर्थात् परिदर्शक द्वारा प्रस्तुत
3. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का मूल्यांकन प्रतिवेदन अर्थात् भाग-3

**अनुसूची**  
(देखें विनियम 5)  
आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा उसकी प्रकिया के लिए अनुसूची

क्रम संख्या	प्रकिया की स्थिति	अन्तिम तिथि
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन नया आवेदन पत्र		
1.	केन्द्र सरकार द्वारा आवेदन की प्राप्ति	किसी भी वर्ष में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं)।
2.	तकनीकी छानबीन के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन पत्रों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को प्रेषित करना।	31 मई
3.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमति पत्र का अस्वीकृति आदेश जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को अनुशंसा	31 मार्च (अगले वर्ष की)
4.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना	31 मई (अगले वर्ष की)

- टिप्पणी :** 1. आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा-रिग्पा महाविद्यालय खोलने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के भाग 1 में दी गई सूचना अर्थात् संगठन, मूल अवसंरचना सुविधाएं, आवेदक की प्रबन्धीय एवं वित्तीय क्षमता के सम्बन्ध में दी गई सूचना की केन्द्रीय परिषद् आवेदन के माध्यम से जाँच करेगी और तत्पश्चात् केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार को आशय पत्र जारी करने की अनुशंसा करेगी।
2. यदि आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब अथवा सोवा-रिग्पा महाविद्यालय खोलने के लिए उपर्युक्त अनुसूची का अनुपालन नहीं किया गया हो और केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश कर लिया गया हो तो नए चिकित्सा महाविद्यालय को/नवीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शमशाद बानो, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./138/19]

- टिप्पणी :** यदि अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः 'नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना (संशोधन) विनियम, 2019' को अंतिम माना जाएगा।

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2019

**No. 3-16/2018 – Regulation (13 A).**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition.** - In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);

(b) "Form" means a Form annexed to these regulations;

(c) "section" means a section of the Act; and

(d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The permission for establishment of a medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity.-Any person intending to establish a medical college or any medical college intending to open a new or higher course of study or training or intending to increase admission capacity in any course of study or

training shall follow the procedure and criteria mentioned in regulations 4 to 6 and submit a scheme to the Central Government along with an application in the form specified in regulation 4.

4. Application Form of scheme.—(1) Any person intending to establish a medical college shall submit the application online in Form-1 as amended from time to time along with non-refundable application fee.

(2) Any medical college intending to open a new or higher course of study or training shall submit the application online in Form-2 as amended from time to time along with non-refundable application fee.

(3) Any medical college intending to increase its admission capacity in any course of study or training shall submit the application online in Form-3 as amended from time to time along with non-refundable application fee.

5. Authority to whom the schemes and applications is to be submitted.—Applications and schemes under regulation 4 shall be submitted online to the Secretary to the Government of India, Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), as per the schedule annexed to the regulations.

6. Eligibility for making an application.—(1) For making an application under sub-regulation (1) of regulation 4, a person shall be eligible if, -

- (a) his one of the objectives is to impart education about Ayurveda or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa;
- (b) owns or possesses the land on lease of not less than thirty years, in the name of college and renewal shall be required on expiry of lease;
  - (i) for intake capacity upto sixty seats, a single piece of land, not less than three acres;
  - (ii) for intake capacity from sixty one to hundred seats, land shall not be less than five acres and not more than two plots at a distance not exceeding two kilometers;
  - (iii) plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land.
- (c) has obtained 'No Objection Certificate' in Form- 4 from the concerned State Government for establishing a new medical college at the proposed site;
- (d) has obtained a 'Consent of Affiliation' in Form- 5 for establishing a new medical college from a University established under any Central or State statute;
- (e) owns and manages a hospital in Ayurveda or Siddha or Unani or Sowa Rigpa and in a position to establish infrastructure and manpower in phased manner as specified in the notified requirements of Minimum Standard regulations of concerned systems of Indian Medicine.
- (f) furnishes an undertaking that, selection or admission of students will be made strictly on the basis of academic merit as prescribed by Central Council;
- (g) furnishes an undertaking that, the nomenclature of courses and teacher-student ratio will be kept as laid down in the concerned regulations;
- (h) has not already admitted students in any class or standard or course or training of the proposed medical college; and
- (i) is in a position to furnish fixed security deposit valid for a period of five years in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi as follows:-
  - (i) for the establishment of medical college: upto 60 seats - rupees one crore;
  - (ii) between 61 - 100 seats – rupees two crores:

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Governments or Union Territories, if they give an Undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them.

(2) For making an application under sub-regulation (2) of regulation 4, a medical college shall be eligible if,-

- (a) has obtained the permission of the concerned State Government or the Union Territory Administration (Form- 4);
- (b) has obtained the concurrence of the University established under any Central or State Statute (Form- 5);
- (c) is able to produce documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per Central Council norms;
- (d) permitted by the central government for running Under-Graduate or Post-Graduate courses in Ayurveda or Siddha or Unani or Sowa Rigpa and completed at least four years six months and three years respectively after first permission;
- (e) is exempted by the Central Government for being owned or managed by the Central Government or the State Government or Union Territory from fulfilling the criteria specified in sub-clause (d);
- (f) selection of students for post-graduate courses is made strictly on the basis of academic merit as prescribed by Central Council;

- (g) the nomenclature of post-graduate degree or diploma and super-specialty courses and teacher-student ratio is as laid down in the concerned regulations;
- (h) in a position to establish infrastructure and manpower in such manner as specified in the notified concerned regulations prescribed by Central Council of Indian Medicine;
- (i) furnishes a fixed security deposit valid for three years in favour of the Central Council of Indian Medicine as follows:-
  - (i) Post-graduate degree course - rupees fifty lakhs per speciality;
  - (ii) Post-graduate diploma Course - rupees ten lakhs per speciality;
  - (iii) Super-specialty course-rupees one crore per speciality;
  - (iv) any other recognised course-rupees thirty lakhs per speciality;

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Governments or Union Territories, if they give an Undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them.

- (3) For making an application under sub-regulation (3) of regulation 4, a medical college shall be eligible if,
  - (a) has obtained the permission of the concerned State Government or the Union Territory Administration (Form- 4);
  - (b) has obtained the concurrence of the University established under any Central or State Statute (Form- 5);
  - (c) has produced documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per Central Council norms;
  - (d) permitted by the central government for running Under-Graduate or Post-Graduate courses in Ayurveda or Siddha or Unani or Sowa Rigpa and completed at least four years six months in case of Under-Graduate course and three years in case of concerned speciality of Post-Graduate degree course(s) and two years in case of concerned speciality of Post-Graduate Diploma Course(s) respectively after first permission;
  - (e) is exempted by the Central Government for being owned or managed by the Central Government or the State Government or Union Territory from fulfilling the criteria specified in sub-clause (d);
  - (f) selection of students for Under-Graduate course, post-graduate courses or diploma and super-specialty courses is made strictly on the basis of academic merit as prescribed by Central Council;
  - (g) the ratio of teaching staff and students are maintained as laid down in the regulation on Minimum Standards and requirements for admission in the medical college;
  - (h) the maximum number of admissions shall not exceed the limit as prescribed in the concerned regulations;
  - (i) in a position to establish infrastructure and manpower in such manner as specified in the notified concerned regulations prescribed by Central Council;
  - (j) furnishes a fixed security deposit valid for five years in case of under-graduate course and three years in case of Post-graduate course in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi as follows:-
    - (i) Under-graduate course: Up to 60 seats - rupees twenty five lakhs;
    - (ii) between 61 to 100 seats - rupees fifty lakhs;
    - (iii) Post-graduate degree course: per seat - rupees five lakhs;
    - (iv) Post-Graduate diploma Course: per seat- rupees two lakhs;
    - (v) Super-specialty course: per seat- rupees ten lakhs; and
    - (vi) any other recognised course: per seat - rupees two lakhs;

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Governments or Union Territories, if they give an Undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them.

7. Recommendation of Central Council.-(1) The Central Government, after receipt of the applications shall scrutinized the application on the basic of eligibility criteria like Application Fee, No Objection Certificate of the State Government and Consent of Affiliation of the University etc. and the Central Government shall forward only eligible applications to the Central Council of Indian Medicine for further consideration and the ineligible and incomplete applications shall be rejected and returned to the applicants by the Central Government.

(2) The Central Council of Indian Medicine shall inspect colleges and issue Letter of Intent at their level in Form-6, if the college is found eligible as specified in the regulations 6 and the Central Council of Indian Medicine shall again inspect or verify the compliance of requirement of minimum standards as specified in concerned regulations and other conditions of Letter of Intent and send the recommendations only once for denial or issuing Letter of Permission as the case may be in Form-7, by the 31<sup>st</sup> March for approval of the Central Government.

**8. Fee to be submitted along with application.-** An application alongwith all necessary documents to be submitted under regulation 4 shall be accompanied by the following non-refundable application fee by way of a demand draft or



Online payment (National Electronic Funds Transfer /Real Time Gross Settlement) payable to the 'Central Council of Indian Medicine', New Delhi:-

- (a) to establish a medical college - rupees ten lakhs;
- (b) to open a new or higher course of study or training - rupees five lakhs per course per speciality;
- (c) to increase admission capacity –
  - (i) for under-graduate course-rupees five lakhs;
  - (ii) for post-graduate courses-rupees five lakhs per speciality.

**9. Permission Order.** – (1)The Central Government on the recommendation of the Central Council and after submission of security deposit by the applicant, shall issue a Letter Of Permission to set up a new Medical College or to open new course or to increase intake capacity with such conditions or modifications in the original proposal as may be considered necessary.

(2) The permission to establish a medical college and admit students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of the achievements of annual targets and it shall be the responsibility of the person to apply to the Central Council of Indian Medicine for the purpose of renewal prior to six months to the expiry of the initial permission.

(3) This process of renewal of permission shall continue till such time the establishment of the medical college and expansion of the hospital facilities are completed and a formal recognition of the medical college is granted:

Provided that the admissions shall not be made at any stage unless the requirements of the Central Council are fulfilled and the Central Government shall at any stage convey the deficiencies to the applicant and provide him an opportunity and time to rectify the deficiencies.

(4) The Central Council may obtain any other information from the proposed medical college as it deems fit and necessary.

#### FORM – 1

[see sub-regulation (1) of regulation 4]

#### **APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH NEW MEDICAL COLLEGE**

##### **Part – I**

- 1.** Name of the applicant \_\_\_\_\_  
(in BLOCK letters)
- 2.** Complete Address with Pin code,  
telephone nos., fax and e-mail) \_\_\_\_\_  
(in BLOCK letters)
- 3.** (i) Status of applicant whether \_\_\_\_\_  
State Government or Union Territory  
or University or Trust  
(ii)Registration/incorporation \_\_\_\_\_  
(Number and date, if any)
- 4.** Name and address of the \_\_\_\_\_  
Proposed Ayurved or Siddha or  
Unani Tibb or Sowa Rigpa College
- 5.** Date of 'No Objection Certificate' \_\_\_\_\_  
issued by the State Government or  
Union Territory Administration.
- 6.** (i) Name and address of Affiliating \_\_\_\_\_  
University  
(ii) Date of affiliation for the scheme \_\_\_\_\_
- 7.** (i) Name of the proposed medical college \_\_\_\_\_  
(ii) Name of the attached Hospital of \_\_\_\_\_  
Proposed medical college

(iii) ate of establishment of Hospital \_\_\_\_\_

## PART I

### 8. Basic Infrastructure

Facilities available for Medical college  
and attached Hospital \_\_\_\_\_

(Attach separate sheet if necessary)

### 9. Composition of the Trust

Particulars of members of the Society  
or Trust, Head or Project Director of the  
proposed Medical College, head of the  
existing Hospital, Qualifications and  
Experience in the field of Medical  
education of members, Head of Project  
or Director and head of the Hospital.

### 10. Financial Capability

(Balance sheet for the last  
three years to be provided if the  
applicant is a Trust. \_\_\_\_\_

Details of the resources to be  
prescribed). \_\_\_\_\_

### 11. Characteristics of proposed site of the Medical College: -

- (a) topography \_\_\_\_\_
- (b) plot size \_\_\_\_\_
- (c) permissible floor space index \_\_\_\_\_
- (d) ground coverage \_\_\_\_\_
- (e) building height \_\_\_\_\_
- (f) road access \_\_\_\_\_
- (g) availability of public transport \_\_\_\_\_
- (h) electric supply \_\_\_\_\_
- (i) water Supply \_\_\_\_\_
- (j) sewerage connection \_\_\_\_\_
- (k) communication facilities \_\_\_\_\_
- (l) Master Plan of the proposed Medical  
College \_\_\_\_\_
- (m) Layout plans, sections \_\_\_\_\_
- (n) elevations and floor wise area  
calculations \_\_\_\_\_

### 12. Educational Programme

- (a) proposed annual intake capacity  
of students \_\_\_\_\_
- (b) mode of admission \_\_\_\_\_
- (c) reservation/preferential allocation  
of seats. \_\_\_\_\_

### 13. Functional programme

- (a) Department wise and service  
wise functional requirements \_\_\_\_\_

- (b) Area distribution and room \_\_\_\_\_  
wise sitting capacity.

**14. Equipment programme**

Department wise list of equipments with year wise schedule of quantities and specifications –

- (a) medical equipments \_\_\_\_\_  
(b) scientific equipments \_\_\_\_\_  
(c) allied equipments \_\_\_\_\_

**15. Man-power programme**

Department wise and year wise provisions-

- (a) full time teaching staff \_\_\_\_\_  
(b) technical staff \_\_\_\_\_  
(c) administrative staff \_\_\_\_\_  
(d) ancillary staff \_\_\_\_\_  
  
(e) salary structure \_\_\_\_\_  
(f) mode of payment of salary \_\_\_\_\_  
(g) recruitment procedure \_\_\_\_\_  
(h) recruitment calendar \_\_\_\_\_

**16. Building programme**

- (a) departments, lecture theatres, \_\_\_\_\_  
examination hall, museum etc. \_\_\_\_\_  
(b) staff quarters \_\_\_\_\_  
(c) staff and students hostels \_\_\_\_\_  
(d) administrative office \_\_\_\_\_  
(e) library \_\_\_\_\_  
(f) auditorium \_\_\_\_\_  
(g) teaching pharmacy \_\_\_\_\_  
(h) mortuary \_\_\_\_\_  
(i) cultural and recreational center \_\_\_\_\_  
(j) sports complex \_\_\_\_\_  
(k) medicinal plants garden \_\_\_\_\_  
(l) Other facilities \_\_\_\_\_  
(state name of other facilities)

**17. Proposed Phase programme and quarter wise schedule of activities indicating –**

- (a) commencement and completion \_\_\_\_\_  
of building design \_\_\_\_\_  
(b) local body approvals \_\_\_\_\_  
(c) civil construction \_\_\_\_\_  
(d) provision of engineering services \_\_\_\_\_  
and equipments \_\_\_\_\_  
(e) requirement of staff \_\_\_\_\_  
(f) schedule of admission \_\_\_\_\_

**18. Project cost**

- (a) capital cost of land \_\_\_\_\_  
(b) buildings \_\_\_\_\_  
(c) plant and machinery \_\_\_\_\_  
(d) medical, scientific and allied equipments \_\_\_\_\_

- (e) furniture and fixtures \_\_\_\_\_
- (f) Preliminary and preoperative expenses \_\_\_\_\_

**19. Means of financing the project**

- (a) contribution of the applicant \_\_\_\_\_
- (b) grants \_\_\_\_\_
- (c) donations \_\_\_\_\_
- (d) equity \_\_\_\_\_
- (e) term loans \_\_\_\_\_
- (f) other sources, if any \_\_\_\_\_

**20. Revenue assumptions**

- (a) fee structure \_\_\_\_\_
- (b) hospital user charges \_\_\_\_\_
- (c) estimated annual revenue  
from various sources \_\_\_\_\_

**21. Expenditure assumptions**

- (a) operating expenses \_\_\_\_\_
- (b) depreciation \_\_\_\_\_

**22. Operating results**

- (a) income statement \_\_\_\_\_
- (b) cash flow statement \_\_\_\_\_
- (c) projected balance sheets \_\_\_\_\_

**23. Name, address and details of the**

- existing hospital \_\_\_\_\_
- (a) bed strength \_\_\_\_\_
- (b) bed distribution, bed occupancy  
and whether the norms specified  
in Minimum Standard Requirements  
Regulations of the concerned system  
of Indian Medicine would be fulfilled. \_\_\_\_\_
- (c) built up area \_\_\_\_\_
- (d) clinical and para clinical disciplines \_\_\_\_\_
- (e) number of out patient departments  
and department wise attendance \_\_\_\_\_
- (f) architectural and layout plans \_\_\_\_\_
- (g) list of medical/allied equipments \_\_\_\_\_
- (h) capacity and configuration of  
engineering services \_\_\_\_\_
- (i) hospital services, administrative  
services, other ancillary and support  
services (category wise staff strength) \_\_\_\_\_

**Part II****UPGRADATION AND EXPANSION PROGRAMME:**

- 24.** Details about the additional \_\_\_\_\_  
land for expansion of the  
existing hospital \_\_\_\_\_
- (a) land particulars \_\_\_\_\_

- (b) location of medical college and proposed hospital \_\_\_\_\_
- (c) topography \_\_\_\_\_
- (d) plot size \_\_\_\_\_
- (e) permissible floor space index \_\_\_\_\_
- (f) ground coverage \_\_\_\_\_
- (g) building height \_\_\_\_\_
- (h) road access \_\_\_\_\_
- (i) availability of public transport \_\_\_\_\_
- (j) electric supply \_\_\_\_\_
- (k) water Supply \_\_\_\_\_
- (l) sewerage connection \_\_\_\_\_
- (m) communication facilities \_\_\_\_\_
- (n) Master Plan of the proposed Medical College \_\_\_\_\_
- (o) Layout plans, sections \_\_\_\_\_
- (p) elevations and floor wise area calculations \_\_\_\_\_

**25. Upgraded Clinical Programme:-**

- Year wise details of the additional clinical and para clinical activities envisaged under the expansion programme \_\_\_\_\_

**26. Upgraded functional programme: -**

- (a) specialty wise and service wise functional requirements \_\_\_\_\_
- (b) area distribution \_\_\_\_\_
- (c) specialty wise bed distribution \_\_\_\_\_

**27. Building expansion programme: -**

Year wise additional built-up area to be provided for –

- (a) departments, lecture theatres, examination hall etc. \_\_\_\_\_
- (b) hospital \_\_\_\_\_
- (c) staff quarters \_\_\_\_\_
- (d) staff and students hostels \_\_\_\_\_
- (e) other ancillary buildings \_\_\_\_\_

**28. Planning and Layout: -**

Upgraded master plan of the hospital complex along with:-

- (a) Layout plans \_\_\_\_\_
- (b) Sections \_\_\_\_\_
- (c) Elevations \_\_\_\_\_
- (d) Floor wise area calculation of the hospital \_\_\_\_\_
- (e) Floor wise area calculation of ancillary buildings \_\_\_\_\_

**29. Details about up gradation or addition in the capacity**

and configuration of \_\_\_\_\_  
 engineering services and \_\_\_\_\_  
 hospital services \_\_\_\_\_

**30. Equipment programme:**

Upgraded department wise list of equipments with year wise schedule of quantities and specifications –

- (a) medical equipments \_\_\_\_\_  
 (b) scientific equipments \_\_\_\_\_  
 (c) allied equipments \_\_\_\_\_

**31. Upgraded manpower programme:**

Department wise and year wise provisions-

- (a) full time teaching staff \_\_\_\_\_  
 (b) technical staff \_\_\_\_\_  
 (c) administrative staff \_\_\_\_\_  
 (d) ancillary staff \_\_\_\_\_  
 (e) salary structure \_\_\_\_\_  
 (f) mode of payment of salary \_\_\_\_\_  
 (g) recruitment procedure \_\_\_\_\_  
 (h) recruitment calendar \_\_\_\_\_

**32. Expansion of scheme - proposed phase programme and quarter wise schedule of activities indicating –**

- (a) commencement and completion \_\_\_\_\_  
 of building design \_\_\_\_\_  
 (b) local body approvals \_\_\_\_\_  
 (c) civil construction \_\_\_\_\_  
 (d) provision of engineering and \_\_\_\_\_  
 hospital services \_\_\_\_\_  
 (e) provision of medical and \_\_\_\_\_  
 allied equipments \_\_\_\_\_  
 (f) requirement of staff \_\_\_\_\_  
 (g) schedule of admission \_\_\_\_\_

**33. Project cost**

- (a) capital cost of land \_\_\_\_\_  
 (b) buildings \_\_\_\_\_  
 (c) plant and machinery \_\_\_\_\_  
 (d) medical, scientific and allied \_\_\_\_\_  
 equipments \_\_\_\_\_  
 (e) furniture and fixtures \_\_\_\_\_  
 (f) preliminary & preoperative expenses \_\_\_\_\_

**34. Means of financing the project :-**

- (a) contribution of the applicant \_\_\_\_\_  
 (b) grants \_\_\_\_\_  
 (c) donations \_\_\_\_\_  
 (d) equity \_\_\_\_\_  
 (e) term loans \_\_\_\_\_  
 (f) other sources, if any \_\_\_\_\_

**35. Revenue assumptions**

- (a) fee structure \_\_\_\_\_  
 (b) hospital user charges \_\_\_\_\_

- (c) estimated annual revenue  
from various sources \_\_\_\_\_

**36. Expenditure assumptions**

- (a) operating expenses \_\_\_\_\_  
(b) depreciation \_\_\_\_\_

**37. Operating results**

- (a) income statement \_\_\_\_\_  
(b) cash flow statement \_\_\_\_\_  
(c) projected balance sheets \_\_\_\_\_

**Signature of applicant**

**List of enclosures:**

1. Certified copy of Bye Laws/Memorandum and Articles of Association/Trust deed.
2. Certified copy of certificate of registration/incorporation.
3. Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership.
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital with bed distribution
7. Certified copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration.
8. Certified copy of the consent of affiliation issued by a recognized University.
9. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
10. Other enclosures as per the various parts of applications (Please indicate details).

**NOTE:** All the copies shall be self-attested.

**FORM-2**

[See sub-regulation (2) of regulation 4]

**Application for permission to open a new or higher Course of study or training**

1.	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2.	Complete Address with PIN code, telephone nos., fax and e-mail) (in BLOCK letters)	
3.	Status of applicant whether State Government or Union Territory or University or Trust	
4.	Registration/incorporation (Number and date, if any)	
5.	Name and address of the Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa College	
6.	Date of 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union Territory Administration.	
7.	i. Name and address of Affiliating University ii. Date of first Affiliation iii. Date of first Affiliation for the scheme	
8.	Year of admission of first batch for undergraduate / Post graduate course	
9.	Month & year of completion of first admitted Under-graduate/ Post-graduate batch	
10.	No. of seats approved and date of Recognition by Central Council of Indian Medicine for existing Under-graduate / Post-graduate course(s)	

11.	Name of the proposed new or higher course(s) of study	
12.	Number of seats applied for in each course	
13.	Details of: (a) additional financial allocation- (b) provision for additional space, equipment and other infrastructure facilities- (c) provision of recruitment of additional staff-	
14.	Any other relevant information	

Date: \_\_\_\_\_ Signature of Applicant

Place: \_\_\_\_\_ Full Name

Designation

**List of enclosures:**

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration
2. Attested copy of the concurrence of affiliation issued by a recognized University.
3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from Central Council of Indian Medicine approving recognition of the college or institution, if already approved by Central Council of Indian Medicine.

**NOTE:** All the copies shall be self attested.

**FORM-3**

[See sub-regulation (3) of regulation 4]

**Application for permission to increase the admission capacity**

1.	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2.	Complete Address with PIN code, telephone nos., fax and e-mail (in BLOCK letters)	
3.	Status of applicant whether State Government or Union Territory or University or Trust	
4.	Registration/incorporation (Number and date, if any)	
5.	Name and address of the Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa College	
6.	Date of 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union Territory Administration.	
7.	i. Name and address of Affiliating University ii. Date of first Affiliation iii. Date of first Affiliation for the scheme	
8.	Year of admission of first batch for undergraduate / Post graduate course	
9.	Month and year of completion of first admitted Under-graduate / Post-graduate batch	



10.	No. of seats approved and date of Recognition by Central Council of Indian Medicine for existing Under-graduate / Post-graduate course(s)	
11.	Name of the course(s) of study applied for increase in admission capacity	
12.	Number of seats applied for in each subject/course	
13.	Details of : (a) additional financial allocation- (b) provision for additional space, equipment and other infrastructural facilities- (c) provision of recruitment of additional staff-	
14.	Any other relevant information	

Date : \_\_\_\_\_

Signature of Applicant

Place: \_\_\_\_\_

Full Name

Designation

**List of Enclosures:**

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration on the prescribed proforma.
2. Attested copy of the concurrence of the University to which the college/institute is affiliated.
3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from Central Council of Indian Medicine approving recognition of the college or institution, if already approved.

**NOTE: All the copies shall be self attested.**

FORM-4

**[See regulation 6]****No Objection Certificate from the State Government**

No.....

Government of -----

The Department of ISM/AYUSH,

To

Dated, the \_\_\_\_\_

(Name and address of applicant),

**Subject : No Objection Certificate****Reference :**

Sir,

The desired "No Objection Certificate" in respect of following facts is being issued:-

- (1) Number of Medical and Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa institutions already existing in the State.
- (2) Number of seats available or number of Medical and Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa practitioners being produced annually.
- (3) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa practitioners registered with the State Council/Board of Indian Systems of Medicine.
- (4) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa practitioners in State Government Service.

- (5) Number of vacant Government posts of Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa doctors in the State, particularly in rural/difficult areas.
- (6) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa doctors registered with the State Employment Exchanges.
- (7) Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa Doctors-population ratio in the State.
- (8) How the establishment of the medical College/increase in admission capacity/starting----- course would resolve the problem of deficiencies of qualified medical personnel in the State and improve the availability of such medical manpower in the State.
- (9) The restrictions imposed by the State Government, if any, on students who are not domiciled in the State from obtaining admissions in the State be specified.
- (10) Full justification for opening of the proposed medical College/increase in admission capacity/starting new or higher course.
- (11) Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa Doctors-population ratio to be achieved.

The (name of the person) \_\_\_\_\_ has applied for establishment of Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa college at \_\_\_\_\_. On careful consideration of the proposal, the Government of \_\_\_\_\_ has decided to issue 'No Objection Certificate' to the applicant for the establishment of an Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa College with \_\_\_\_\_ (number) seats/increase in admission capacity from-----to--- seats/starting ----- course.

It is certified that: -

- (a) the applicant owns and manages a \_\_\_\_\_bedded hospital, which was established in the year \_\_\_\_\_,
- (b) it is desirable to establish an Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa College in the public interest /increase in admission capacity/starting----- course and
- (c) establishment of Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa college /increase in admission capacity/starting----- course at \_\_\_\_\_ by (the name of Trust) is feasible.

It is also certified that adequate clinical material as per norms of the Central Council of Indian Medicine is available with the proposed/existing Medical College. It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa College as per Central Council of Indian Medicine norms and fresh admissions are stopped by the Central Government, the State Government shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of the Central Government.

Yours faithfully,

(Signature of the Competent Authority) Office Seal

FORM- 5

[See regulation 6]

**CONSENT OF AFFILIATION**

No .....

University .....

Place .....

Dated .....

On the basis of the report of the Local Inquiry Committee, the University of ..... has agreed in principle, to affiliate the proposed Ayurved or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa College with admission capacity of ..... seats to be established at ..... by the (name of the applicant) increase in admission capacity from-----to--- seats of -----course/starting ----- course. subject to grant of permission by the Government of India, Ministry of AYUSH, New Delhi under section 13A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).

REGISTRAR

**\*Note:** While issuing Consent of Affiliation to the applicant, a copy of the same may be provided simultaneously to the Secretary to the Government of India, Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), B Block GPO complex, INA, New Delhi-110023.

## FORM- 6

[See regulation 7]

Reference No ..... Dated .....

To

*Name of the college with address***Sub: Approval or disapproval of Letter of Intent for the application under section 13 A of Indian Medicine Central Council Act, 1970.**

Sir,

I am directed to refer the Ministry of AYUSH Govt. of India letter No. ----- dated forwarding therewith your application under section 13 A of Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide ref. No. \_\_\_\_\_, dated the \_\_\_\_\_ and to say that the physical and other infrastructure facilities available at the proposed \_\_\_\_\_ (name of the College) \_\_\_\_\_ to be set up at \_\_\_\_\_ by the (name of the State Government or Union territory or Trust) were inspected on \_\_\_\_\_ by the visitation team appointed by the Central Council of Indian Medicine on \_\_\_\_\_.

2. The inspection report and all other related papers were placed before the Executive Committee of the Council in its meeting held on \_\_\_\_\_. On careful consideration of the proposal, the Executive Committee decided to issue or not to issue Letter of Intent the decision of the Executive committee has been approved by the Central Council in its meeting held on \_\_\_\_\_.

3. On careful consideration of the Scheme and inspection report, the Central Council has arrived at the following conclusion-

- (i) that the applicant fulfills the eligibility and qualifying criteria;
- (ii) that the applicant has a feasible and time bound programme to set up the proposed Ayurved or Siddha or Unani Tibb College along with required infrastructure facilities including adequate hostel facilities for boys and girls and as specified by the Central Council, commensurate with the proposed intake of students so as to establish the College fully within a period of four years from the date of grant of permission;
- (iii) that the applicant has a feasible and time bound expansion programme to provide additional beds and infrastructure facilities as specified by the Central Council, by way of up-gradation of the existing Hospital or by way of establishment of new Hospital in the same College campus or both so as to collectively provide the specified bed complement within a period of four years from the date of grant of permission to set up the proposed College;
- (iv) that the applicant has necessary managerial and financial capabilities to establish and maintain the proposed college and its ancillary facilities including a teaching Hospital;
- (v) that the applicant has a feasible and time bound programme for recruitment of faculty and staff as per prescribed norms of the Central Council and that the necessary posts stand created;
- (vi) that the applicant has not admitted any students and
- (vii) deficiencies, if any, in the infrastructure or faculty.  
(be pointed out indicating whether these are remediable or not)

The position regarding infrastructure facilities is as under: -

S. No.	Criteria	Remarks
1.	Form-4	
2.	Form-5	
3.	Functionality of the hospital	

In view of the above position, the Council decided to issue /not to issue the Letter of Intent.

(In case the Council does not decide to issue Letter of Intent)

The reasons for disapproval of the Scheme are as under: -

- (a) \_\_\_\_\_
- (b) \_\_\_\_\_
- (c) \_\_\_\_\_

The scheme, in original, is returned herewith. If the institution wish to make an appeal they may approach the central government in this regard under section 13A (4)(a) of Indian Medicine Central Council Act, 1970.

## FORM- 7

[See regulation 7]

Reference No ..... Dated .....

To,

Secretary to the Govt. of India / Ministry of AYUSH,

Ayush Bhawan,

B Block GPO Complex,

INA, NEW DELHI 110023

**Subject: Recommendation of the Central Council of Indian Medicine in respect of ---- College for the academic session ----- under section 13A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 -reg.**

Sir/Madam,

With reference to the subject mentioned above, I am directed to say that in view of the application submitted by the ---- trust or society or college and in view of the Letter of Intent issued vide ref. no. ---- dated ----- the----- college (with address) was visited on ---- (date) to examine the compliance of relevant regulations in force to maintain the infrastructure facilities to start an Ayurveda or Siddha or Unani or Sowa Rigpa college with intake capacity of ---- seats (or) to start a new course(s) namely ---- with the intake capacity of ---- seats (or) to increase the admission capacity in --- course from ---seats to --- seats as the case may be.

The online visitation report had been scrutinized in view of enforced regulations and the same have been placed before the Executive committee of the Central Council of Indian Medicine and the Executive Committee decided to recommend to the Central Government for issuing the Letter of Permission to start an Ayurveda or Siddha or Unani or Sowa Rigpa college with intake capacity of ---- seats (or) to start a new course(s) namely ---- with the intake capacity of ---- seats (or) to increase the admission capacity in ---- course from ---seats to --- seats as the case may be under section 13A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 from the academic session .....with the following / without shortcomings:-

**Enclosures:**

1. Online Visitation Proforma i.e. Part-1 i.e. submitted by College.
2. Online Visitors report i.e. Part-2 i.e. submitted by Visitors.
3. Assessment Report of CCIM i.e. Part-3.

**SCHEDULE**

[see regulation 5]

**SCHEDULE FOR RECEIPT AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS**

S. No.	State of processing	Last Date
<b>New Applications Under Section 13A of IMCC Act, 1970</b>		
1.	Receipt of applications by the Central Government	the 1 <sup>st</sup> July to the 31 <sup>st</sup> August (both days inclusive) of any year
2.	Forwarding of eligible applications by Central Government to Central Council of Indian Medicine for technical scrutiny.	the 30 <sup>th</sup> September
3.	Recommendations of Central Council of Indian Medicine to Central Government for issuing Letter of Permission denial order	the 31 <sup>st</sup> March (of following year)
4.	Issue of Letter of Permission by the Central Government	the 31 <sup>st</sup> May (of following year)

**Note:** (1) The information given by the applicant in Part-I of the application for setting up Ayurveda or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa college that is information regarding organization, basic infrastructure facilities, managerial and financial capabilities of the applicant shall be scrutinized by the Central Council through an application and thereafter the Central Council may recommend issue of Letter of Intent by the Central Government.

- (2) Renewal of permission shall not be granted to the new Medical College if the above Schedule for opening Ayurveda or Siddha or Unani Tibb or Sowa Rigpa College is not adhered to and admissions are made without prior approval of the Central Government.

SHAMSHAD BANO, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./138/19]

**Note:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College (Amendment) Regulations, 2019”, the English version will be treated as final.